न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 71/2023/अपील/एलआरएक्ट/बून्दी
दायरा दिनांकः 18.12.2023
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. महावीर आत्मज राजेन्द्र कुमार जैन जाति महाजन, (शान्ति ट्रेडर्स देवपुरा) निवासी रजतगृह बून्दी, तहसील एवं जिला बून्दी
2. राजेन्द्र कुमार आत्मज माणकचन्द जैन जाति महाजन, (शान्ति ट्रेडर्स देवपुरा) निवासी रजतगृह बून्दी, तहसील एवं जिला बून्दी

...अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बून्दी, जिला बून्दी

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री संजय पाटौदी अभिभाषक –अपीलार्थी
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 25.06.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (संक्षेप में प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 34/अपील/2022 (जीसीएमएस सं0 2022/60) बउनवान महावीर वगैराह बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 04.09.2023 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार, बून्दी द्वारा प्रकरण संख्या 631/2022 धारा 91 एलआरएक्ट के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 22.03.2022 से अपीलार्थी को ग्राम देवपुरा में सम्वत् 2078 में सरकारी भूमि किस्म गै0मु0 पाल खसरा संख्या 476 की रकबा 0.1692 है0 में से 0.1538 है0 भूमि पर तारबाडा कर अतिक्रमण करने पर 125/– रूपये शास्ति से दण्डित किया जाकर बेदखल किया जाने का आदेश पारित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी के यहां पेश की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निर्णय दिनांक 04.09.2023 से खारिज की गई।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

2 अपीलार्थी द्वारा उक्त दोनों अधीनस्थ न्यायालय से व्यथित होकर द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में इस आशय की अपील पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। न्यायालय तहसीलदार बून्दी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित करने से पूर्व न तो कोई नोटिस दिया और न ऐसा कोई नोटिस अपीलार्थी को प्राप्त हुआ। ऐसी स्थिति में बिना सुनवाई के निर्णय पारित किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नहीं दिया कि वादग्रस्त भूमि खसरा सं0 476 की 0.1692 है0 भूमि अपीलार्थी क्र. 2 के खाते की खसरा सं0 477 की 9 बीघा 9 बिस्वा भूमि ग्राम देवपुरा तहसील बून्दी के साथ लगी हुई है। खसरा सं0 477 की भूमि की किस्म बदलकर आबादी में परिवर्तित कर दी गई है। दोनों भूमियों के बीच में कोई डिमार्केशन नहीं है तथा खसरा सं0 477 की भूमि पर निर्मित माकनों की सुरक्षा हेतु तारों से तार बाण्उड्री बनी हुई है, जिसे अतिक्रमण मान लिया गया है, जो त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक हैं। सेटलमेंट विभाग ने खसरा सं 476 की भूमि की किस्म को गैर मुमकिन पाल दर्ज कर दिया गया, जबकि उक्त भूमि गै0मु0 पाल नहीं थी। इस प्रकार कोई भी आदेश दिये जाने से पूर्व पीड़ित पक्षकार को नोटिस देकर सुनवाई किया जाना आवश्यक था। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

3 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

4 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि न्यायालय तहसीलदार बून्दी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित करने से पूर्व न तो कोई नोटिस दिया और न ऐसा कोई नोटिस अपीलार्थी को प्राप्त हुआ। ादग्रस्त भूमि खसरा सं0 476 की 0.1692 है0 भूमि अपीलार्थी क्र. 2 के खाते की खसरा सं0 477 की 9 बीघा 9 बिस्वा भूमि ग्राम देवपुरा तहसील बून्दी के साथ लगी हुई है। खसरा सं0 477 की भूमि की किस्म बदलकर आबादी में परिवर्तित कर दी गई है। दोनों भूमियों के बीच में कोई डिमार्केशन नहीं है तथा खसरा सं0 477 की भूमि पर निर्मित माकनों की सुरक्षा हेतु तारों से तार बाण्उड्री बनी हुई है, जिसे अतिक्रमण मान लिया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पीडित पक्षकार को बिना सुने निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक उद्धरण RLR 2001 (2) page no 93 पेश किए।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

5 रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय उचित होना प्रकट किया गया।

6 प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों का अवलोकन कर बहस अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया गया। न्यायालय तहसीलदार बून्दी की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि पटवारी रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय तहसीलदार, बून्दी द्वारा प्रकरण संख्या 631/2022 धारा 91 एलआरएक्ट के अन्तर्गत दर्ज कर दिनांक 04.03.2022 से नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि रिपोर्ट अनुसार "लेने से मना किया" अंकित किया गया है तथा जिस पर तामील कुलिन्दा के हस्ताक्षर हैं। तामील कुलिन्दा की अदम तामील रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय तहसीलदार, बून्दी द्वारा बाद सूचना अनुपस्थित होना मानते हुए दिनांक 22.03.2022 को निर्णय पारित किया जाना प्रकट होता है। जबकि ऐसी स्थिति में न्यायालय तहसीलदार, बून्दी से यह अपेक्षित था कि यदि तामील कुलिन्दा के द्वारा संबंधित को तामील करवाये जाने पर लेने से मना करने पर 2 गवाहों के हस्ताक्षर करवाते हुए उक्त नोटिस को चस्पा किये जाने की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। इस प्रकार उक्त तामील को विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में हम प्रकरण की परिस्थितियों पर विचार करते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की दृष्टि से अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु प्रकरण न्यायालय तहसीलदार, बून्दी को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं। लिहाजा अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी का निर्णय दिनांक 04.09.2023 अपास्त किया जाता है। प्रकरण न्यायालय तहसीलदार बून्दी को इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर पुनः तर्कसंगत एंव विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे। साथ ही यदि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी के अन्तर्गत प्रश्नगत आराजी गै0मु0 पाल पर अतिक्रमण पाया जाता है, तो उक्त के संबंध में न्यायालय तहसीलदार, बून्दी नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं।

7 निर्णय आज दिनांक 25.06.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

25/6/25

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा